

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र. 1594-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-518-अठारह-3-2004, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा नगरपालिक निगम, इन्दौर में 85 (पिच्चासी) वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है.

No. 1594-2014.—In exercise of the power conferred by Notification No. 3-518-Eighteen-3-2004, dated 25th February 2004 of Urban Administration and Development Department, Government of Madhya Pradesh and under Section 10 (1) of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 the number of Wards in the Municipal Corporation, Indore are hereby determined as 85 (Eighty Five).

संजय दुबे, आयुक्त.